



# भारत स्काउट्स एवं गाइड्स

राष्ट्रीय मुख्यालय

पता: लक्ष्मी मजूमदार भवन, 16, महात्मा गाँधी मार्ग, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

वेबसाइट: [www.bsgindia.org](http://www.bsgindia.org) ईमेल आईडी: [info@bsgindia.org](mailto:info@bsgindia.org) दूरभाष: +91-11-23370126, 23378667

प्रति,

समस्त राज्य सचिव

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राज्य संघ

भारतीय संघ

परिपत्र संख्या : 25/2021

दिनांक : 10 मार्च, 2021



## "अनुस्मारक"

विषय :- राज्य संघों के उप-नियम विषयक।

सन्दर्भ:- राष्ट्रीय मुख्यालय परिपत्र संख्या-159/2020 दिनांक-04-12-2020

महोदय/महोदया,

आपका ध्यान राष्ट्रीय मुख्यालय के उपरोक्त विषयक परिपत्र संख्या-159/2020 दिनांक-04-12-2020 की ओर आकर्षित कराना है।

24 नवम्बर, 2019 को हुई राष्ट्रीय परिषद की 69वीं आम बैठक एवं 29 नवम्बर, 2020 को हुई 78वीं आभासी आम बैठक द्वारा अनुमोदित भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के नियमों में नए संशोधनों के परिणामस्वरूप नियमों में संशोधन के दृष्टिगत, राज्य संघों से अनुरोध है कि वे अपने राज्य संघ के उप-नियम प्रारूप माननीय मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त महोदय की स्वीकृति हेतु **31 मार्च, 2021** तक राष्ट्रीय मुख्यालय को प्रेषित करें।

उन सभी राज्य संघों हेतु यह एक "सौम्य अनुस्मारक" है जिन्हें अभी भी अपने राज्य उप-नियम प्रारूप राष्ट्रीय मुख्यालय को प्रस्तुत करने हैं उनसे एक बार पुनः अनुरोध है कि वे तय समय-सीमा के अन्दर राज्य उप-नियम को सिफारिश के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए राष्ट्रीय मुख्यालय को अग्रेसित करने का कष्ट करें।

यह पुनः स्मरण दिलाना है कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के स्थानीय परिषद से लेकर राज्य परिषद तक के सभी पदाधिकारियों के आगामी चुनाव संस्था के नियमों में हुए नए संशोधनों के अनुसार ही संचालित किए जाने हैं।

सधन्यवाद।

भवदीय,

(राज कुमार कौशिक)  
निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. समस्त राष्ट्रीय मुख्यालय पदाधिकारी, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, राष्ट्रीय मुख्यालय।
2. अध्यक्ष/सचिव, रेल्वे स्काउट एवं गाइड बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016।
4. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, इंस्टीट्यूशनल एरिया, बी-15, सेक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201309।
5. समस्त जिला सचिव, दम्भाम, रियाद, मस्कट एवं जमीयत यूथक्लब को आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन के साथ।